शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक–49 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 25–2 दिसम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

नादौन में अदालत के स्टे के बावजूद छुट्टी के दिन प्रशासन की कारवाई बनी चर्चा का विषय

- नादौन में सरकार बना रही है बड़ा होटल और कॉम्पलैक्स
- एशियन विकास बैंक से लिया जा रहा है बड़ा कर्ज
- जिस जमीन पर यह निर्माण प्रस्तावित है उसमें हिस्सेदारों में बंटवारे का झगड़ा चल रहा है
- झगड़े के कारण निर्माण पर भी अदालत का स्टे चल रहा है
- कुछ पर्यटन संपत्तियों को प्राइवेट को देने के लिए नौ अप्रैल को चण्डीगढ़ के होटल हयात में हुई बैठक में नादौन का यह होटल भी एजैण्डे में था।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में सरकार एक टूरिस्ट होटल बना रही है। इस फाइव स्टार होटल के लिये एशियन विकास बैंक से कर्ज लेकर धन का प्रबंध किया गया है। यह होटल बनाकर इसको चलाने के लिये इसे प्राइवेट सैक्टर को देने की योजना है। बल्कि सरकार ने इस संबंध में 9 अप्रैल को चण्डीगढ़ के होटल हयात में कुछ टूरिस्ट संपत्तियों के सुचारू संचालन के लिये प्राइवेट सैक्टर के दिग्गजों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया था। इन प्रस्तावित संपत्तियों में नादौन में बनाया जा रहा यह होटल भी शामिल है। लेकिन यह होटल अभी शुरुआती स्तर पर है। क्योंकि जिस जगह पर जलाड़ी में यह बनाया जा रहा है उस जमीन पर हिस्सेदारों में झगड़ा है और अदालत से यहां पर कोई भी निर्माण या निर्माण संबंधी गतिविधियां करने पर 28-11-2022 से स्टे लगा है। लेकिन अब 1-12-24 को रविवार छुट्टी के दिन प्रशासन ने अदालत के स्टे आर्डर को नजरअन्दाज करके निर्माण गतिविधि शुरू कर दी। जिन हिस्सेदारों ने स्टे हासिल किया था उनकी प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। पुलिस ने भी अदालत के स्टे ऑर्डर को कोई अधिमान नहीं दिया।

पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है कि किसके दबाव में प्रशासन ने स्टे वाली जमीन पर खोद खुदाई का काम छुट्टी वाले दिन अंजाम दिया। इसी के साथ यह भी चर्चा में आ गया है कि क्या नादौन में फाइव स्टार होटल का निर्माण सरकार द्वारा किया जाना व्यवहारिक और लाभदायक सिद्ध हो पायेगा। इस समय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटल जिस तरह से प्रदेश उच्च न्यायालय में चर्चा में आये हैं उससे यह प्रस्तावित निर्माण स्वत: ही सवालों में आ जाता है। क्योंकि पर्यटन विकास निगम जब अपने सेवानिवृत कर्मचारियों के देय वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं कर पाया तब यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा। निगम ने उच्च न्यायालय में जब अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा अदालत में रखा तब उच्च न्यायालय ने निगम से परफॉरमैन्स रिपोर्ट तलब कर ली। इस रिपोर्ट में जब यह सामने आया कि निगम के होटल लगातार घाटे में चल रहे हैं तो इसका कड़ा संज्ञान लेते हुये इन होटलों को बंद करने के आदेश सुना दिये। क्योंकि यह घाटा प्रदेश के आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश से जब निगम में कार्यरत कर्मचारी प्रभावित हुये तब उनका संगठन इस पर गंभीर हुआ। निगम के कर्मचारी संघ ने निगम प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में रखी रिपोर्ट को एकदम नकार दिया। कर्मचारी

शेष पृष्ठ 8 पर..............

यह है स्टे आर्डर

ORDER

This order shall dispose of an application filed under Order 39 Rule 1 and 2 of CPC filed by the plaintiff (hereinafter referred to as the applicant) for restraining the defendants (hereinafter referred to as the respondents) from raising any kind of construction, changing the nature and ousting the applicants

-:2:-

CNR No.HPHA07-000957-2022, CIS Registration No.529 of 2022, CIS Case Type: Civil Misc. Application, CIS Case Year : 2022.

from the land comprised in Khata No.3, Khatauni No.7, Khasra No.1911, area measuring 162-12 square decimeters, as per jamabandi for the year 2019-20, situated at Mahal Seri Mouza Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. (hereinafter to be referred as 'Suit Land'), till the disposal of suit.

2. Briefly stated the facts of the application are that the applicants are co-owners in joint possession of suit land. The suit land is joint between the applicants and respondent No.1 and has not yet been partitioned through regular process of law. It is submitted that the respondent No.2 is the wife of respondent No.1 and the respondents No.3 & 4 are the son and daughter of respondent No.1 and are strangers to suit land having no right, title and interest over it but they all connived in the illegal act of respondent No.1 and are causing illegal interference over the suit land. It is further submitted that the suit land is valuable piece of land and is abutting to the road but the respondent No.1 with the intention to cover more land than his due share by conniving with other respondents have started digging the suit land and gather construction material over it. They are also raising forcible construction over the suit land without getting it partitioned. It is further submitted that the suit land is recorded as Gair Mumkin Sarak in the revenue record, however, the aforesaid khasra number is vacant on spot. The respondents are taking advantage of wrong entry and in order to deprive the applicants from their valuable rights in the suit property, are changing the nature of suit land. The applicants requested the respondents not to do so but all in vain. Hence, the present application. The application is duly supported with an affidavit of Sh. Vikram Singh.

3. Notice of this application was resisted by the

-:4:-

CNR No.HPHA07-000957-2022, CIS Registration No.529 of 2022, CIS Case Type: Civil Misc. Application, CIS Case Year : 2022.

of such co-sharer is prejudicial to the next of others or is diminishing the value and utility of property.

7. As per revenue record, the suit land is still joint and unpartitioned property and the names of respondents No.2 to 4 nowhere figures out in the same and they appear to be complete strangers to the suit land. It is also clear that even the respondents have admitted the nature of suit land. However, learned counsel for the respondents has specifically pleaded that the respondents are not doing anything over the suit land. Perusal of revenue record clearly shows that the nature of suit land is recorded as Gair Mumkin Sadak whereas the applicant himself is refuting on the entry made in the revenue record. Whereas the respondent has admitted that the suit land is jointly owned by them and has at the same time admitted the entry made in the revenue record and has also submitted that since there exist sadak on the spot as such there are no chances of any construction by anyone. It is clear that presumption of truth is attached to jamabandi which is rebuttable in nature and the onus to rebut the same was also on the respondents but it is clear that even the respondents have admitted the revenue record. Basic purpose of granting injunction is to protect the suit property/land till the rights of the parties are completely determined by the court and the right of parties shall be determined by leading cogent and convincing evidence. But, at this stage, I am of the opinion that there exist prima facie case in favour of plaintiffs/applicants and if the respondents are not restrained from causing interference over the suit land then it is the applicants who shall suffer irreparable loss in case at later stage it is found that the respondents have raised construction over the best portion of the suit land thereby causing loss to plaintiffs/applicants,particularly when at this stage there is

-:6:-

CNR No.HPHA07-000957-2022, CIS Registration No.529 of 2022, CIS Case Type: Civil Misc. Application, CIS Case Year : 2022.

of construction, changing the nature and ousting the applicants from the suit land, till the final disposal of the suit on merits. Accordingly, application is allowed. It stands disposed of. It be registered and after due completion be tagged with the file for record.

9. Before parting with the orders, it is made clear that the opinion made herein shall have no bearing over the merits of the case.

Announced and signed in the open Court today on this 9th day of May, 2023.

(Geetika Kapila)
Senior Civil Judge,
Nadaun, District Hamirpur, H.P.

*pr/-

राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को 12 स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें से आठ स्वर्ण पदक, छात्राओं को प्रदान किए गए। उन्होंने विद्यार्थियों को बागवानी एवं वानिकी में 119 पीएचडी की उपाधियां भी प्रदान कीं।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एमएससी और बीएससी के विद्यार्थियों को भी उपाधियां प्रदान कीं। दीक्षांत समारोह में कुल 816 उपाधियां प्रदान की गई। उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह उनके जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि आज के दिन उन्हें वर्षों की मेहनत का फल मिला है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अधिकतर स्वर्ण पदक विजेता छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि आज बेटियां उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की बधाई दी और हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉ. परमार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए योगदान ने उन्हें अमर बना दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार को अपने विश्वविद्यालयों में उदारतापूर्वक योगदान देना चाहिए। देश और राज्य को आगे ले जाने और जीडीपी बढ़ाने में छात्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे शोध और अनुसंधान कार्यों से उन्नत तकनीकों के बारे में कृषक समुदाय को जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 49 प्रतिशत क्षेत्र में सेब का उत्पादन किया जाता है तथा कुल फल उत्पादन में इसका 84 प्रतिशत योगदान है। राज्य में सेब की अर्थव्यवस्था 5000 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि मौसम में परिवर्तन तथा रासायनिक कीटनाशकों के अधिक प्रयोग ने फल उत्पादन से लेकर गुणवत्ता तक सारी श्रृंखला को प्रभावित किया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती प्रणाली अपनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार 481 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है, जिसका प्रदेश को भी लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक खेती में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरम्भ करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं से केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्टार्टअप का उपयोग कर समाज को लाभान्वित करने की अपील की।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह तथा स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग करने की पहल की, जिससे राज्य के बागवानों को सेब विपणन में सुविधा और अच्छे दाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब मंडियों में सेब की खरीद प्रति किलोग्राम के हिसाब से की जा रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों के निपटान के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ौतरी की गई है, जिससे सेब के समर्थन मूल्य में 12 रुपये प्रति किलो हुआ है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवानी नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा, जिससे 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती में अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्वविद्यालय को लगभग 4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 1,292 करोड़ रुपये की एचपी- शिवा परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है, जिससे 15 हजार से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल ने बताया कि पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा 10 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा लगभग 50 करोड़ रुपये की 159 परियोजनाएं वित्त पोषण के लिए विभिन्न संस्थाओं को भेजी गई है और वश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 400 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

राजभवन में नागालैंड और असम के स्थापना दिवस का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत की मजबूती उसकी एकता और विविधता में है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं का अनुभव राज्यों के बीच समझ और संबंधों को बढ़ावा देगा। इसके चलते एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से भारत की एकता और अखंडता और भी सुदृढ़ होगी।

राज्यपाल राजभवन में नागालैंड और असम के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, रिवाजों और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। असम आकर्षक धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसको भारत और दुनिया भर के यात्रियों के लिए प्रिय गंतव्य बनाता है।

उन्होंने कहा कि असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ चाय बागान, रेशम उत्पादन और आकर्षक पारंपरिक कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। यह असम की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है।

राज्यपाल ने कहा कि नागालैंड के लोग साहसी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हैं। अपने देशभक्ति के उत्साह के साथ, राज्य के लोगों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के कांग्रेस नेताओं के साथ की चर्चा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जिला की विकासात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले दो वर्ष में जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी महत्वाकांक्षी पहल की गई हैं। जिला में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है ताकि यहा पर बड़े हवाई जहाज उतर सकें। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार उचित मुआवजा देगी और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे का विस्तार कांगड़ा जिला के विकास के लिए मील पत्थर सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त देहरा में 650 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध में भी बिलासपुर की तर्ज पर जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रयास कर रही है। पालमपुर और धर्मशाला के साथ-साथ जिला कांगड़ा के अन्य स्थानों पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मटौर-शिमला नेशनल हाईवे के निर्माण को भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ढगवार में 1.50 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं और सभी जन प्रतिनिधियों को इन योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास करने चाहिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर बिलासपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड रघुवीर सिंह बाली, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक किशोरी लाल, संजय रतन, आशीष बुटेल, मलेंद्र राजन, कमलेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजय महाजन, सुरेंद्र काकू, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया तथा देवेंद्र जग्गी उपस्थित रहे।

नशामुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार नशामुक्त हिमाचल बनाने के लिए नशामुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव में प्रदेश में नशामुक्ति केंद्र खोलने सहित विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार से नशामुक्त भारत अभियान के तहत वित्तीय सहायता का आग्रह किया जाएगा। अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मामले पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इसी अभियान के तहत राज्य स्तरीय नशामुक्त अभियान समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंघमार ने की।

आशीष सिंघमार ने विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर पर जिला नशामुक्त अभियान समिति के तहत विस्तृत प्रस्ताव बनाने के दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य स्तरीय प्रस्ताव को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने स्वास्थ्य, पुलिस, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए इन विभागों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी अहम योगदान अपेक्षित है।

विभागीय अधिकारियों ने अवगत करवाया कि नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए प्रदेश में कुल्लू, हमीरपुर और ऊना में 15 बिस्तर क्षमता और नूरपुर व कुल्लू में 15 बिस्तर क्षमता का एकीकृत पुनर्वास केंद्र चलाया जा रहा है।

इसके अलावा सिरमौर, मंडी, शिमला जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। शेष अन्य जिलों में व्यवहारिकता एवं उपयोगिता के आधार पर केंद्र खोलने को लेकर चर्चा की गई।

प्रदेश के कारावासों में भी नशामुक्ति अभियान चलाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारियों ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए।

बैठक में राज्य स्तरीय नशामुक्ति अभियान समिति में शामिल पुलिस, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

वीरभद्र सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नाम:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को 100.95 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने 29.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित

अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इसके सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। यह सीए स्टोर अल्ट्रा मॉर्डन ग्रेडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20.93 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने 2.79 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, 3.92 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित चुंजर-कटलाह, शलान, मेलठी-कुपरी जल आपूर्ति योजना तथा 5.03 करोड़ रुपये की लागत से रोहड़ू ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया।

उन्होंने क्षेत्र के लिए 51.74 करोड़ रुपये की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जिनमें पोढर-मनदियोड़ी-करासा सड़क, सीमा रंतारी सड़क, समोली-पारसा सड़क, रोहडू- अरहल -बशला सड़क और मेहांडली गनासीधार सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। उन्होंने 8.25 करोड़ रुपये की लागत से सीमा कॉलेज रोहडू में बनने वाले छात्रावास का नींव पत्थर भी रखा।

मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय सीमा रोहडू के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सीमा कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से सीमा कॉलेज में बीएड का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने छात्रावास के निर्माण को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि कॉलेज में बहुउद्देशीय भवन भी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को एक लाख रुपये देने की घोषणा की।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लगभग 15 हजार पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी के लिए 1134 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी कांग्रेस सरकारों की ही देन है।

विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 43वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया।

14 नवम्बर से शुरू हुआ यह मेला 27 नवम्बर तक चलेगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, हिम ईरा, एचपीएमसी द्वारा लगाए गए 16 स्टालों का अवलोकन किया जिनमें शहद और कृषि उत्पाद, शॉल, फल उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि लगभग 2 लाख लोग हिमाचल पैवेलियन का दौरा कर चुके हैं और लगभग 40 लाख रुपये कीमत के उत्पादों की बिक्री दर्ज की जा चुकी है।

निदेशक उद्योग यूनुस ने मेले के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नौतोड़ स्वीकृति करने की मांग राज्य सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में सरकार को जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। इस बैठक में लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए नीतिगत मामलों के बारे में प्रस्ताव रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890.28 करोड़ रुपये तथा गैर योजना में 1145.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना बजट में भवन, सड़कों व पुलों के निर्माण पर 117.43 करोड़ रुपये, शिक्षा क्षेत्र पर 37.45 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर 52.75 करोड़ रुपये तथा पेयजल योजनाओं पर 75.75 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल शीघ्र ही इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रू-ब-रू हो सकें। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ मेरा विशेष लगाव है और मेरा प्रयास है कि मैं समय-समय पर इन क्षेत्रों का दौरा करूं। इस दिशा में प्रदेश सरकार के गठन के बाद हिमाचल दिवस कार्यक्रम 15 अप्रैल, 2023 को काजा में आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना को 25 जनवरी 2024 को सभी महिलाओं के लिए केलांग से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय किलाड़, डिग्री कॉलेज भरमौर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भरमौर का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। हाल ही में पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में उप दमकल केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पांगी के लिए वांछित भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करवा कर इसका शिलान्यास किया जा चुका है। इसके साथ ही कुकुमसेरी एकलव्य आदर्श विद्यालय के भवन का शिलान्यास भी इसी वर्ष किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को इन विकासात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उनके घर-द्वार के निकट उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए ऋण लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन एक्ट 1968 में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी संस्तुति अप्रैल, 2023 में प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जनजातीय लोगों को ऋण लेने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा वह अन्य लोगों की तरह बैंकों से ऋण ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चंबा और नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का बैठक में स्वागत किया और कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एक ही बैठक हुई, वो भी किन्नौर कांग्रेस के आंदोलन के बाद संभव हुआ। इससे साबित होता है कि भाजपा जनजातीय क्षेत्रों की कितनी हितैषी है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष के भीतर यह बैठक दूसरी बार आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसके साथ ही विकासात्मक परियोजनाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जा रहा है और जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास नौतोड़ का मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए सिंगल लाइन प्रणाली की समीक्षा आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्रों में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग की देनदारियां लंबित रही है। किन्नौर में लोक निर्माण विभाग का 16.36 करोड़ रुपये, जबकि जल शक्ति विभाग का 5 करोड़ रुपये, लाहौल में लोक निर्माण विभाग का 12 करोड़ रुपये जबकि जल शक्ति विभाग का 8 करोड़ रुपये, पांगी में लोक निर्माण विभाग का 14 करोड़ रुपये तथा जल शक्ति विभाग का 14.50 करोड़ रुपये जबकि भरमौर में लोक निर्माण विभाग का 13 करोड़ रुपये तथा जल शक्ति विभाग का 8 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं।

लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विधायक जनक राज, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित परिषद के सदस्य, प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाएगी क्रैक संस्था:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 6,800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए क्रैक अकादमी 34 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस संस्था के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश के छठी कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को इस संस्था के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कौशल विकास पर भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

इससे पूर्व क्रैक अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज कंसल ने 'समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा' विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित थे।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार संशोधन विधेयक पेश करेगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर, शिमला में राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा से संबंधित भूमि हस्तांतरण के मामले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई तथा संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा को राहत प्रदान करने तथा अस्पताल को कार्यशील रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पताल को कार्यशील रखना चाहती है ताकि आसपास के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धर्मशाला में 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। उन्होंने संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने तथा इसे मंत्रिमण्डल की आगामी बैठक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने शुरू में संगठन को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार किया था, लेकिन विधानसभा सत्र के शीघ्र ही आयोजित होने के कारण संशोधन विधेयक पेश करना अधिक व्यवहार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा की भूमि से संबंधित मामला करीब एक दशक से अनसुलझा है।

मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है।

...... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

प्रदेश का वित्तीय संकट कुछ सवाल

इस समय हिमाचल जिस वित्तीय मुकाम पर आ पहुंचा है उसमें कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े हुये हैं जिनको और अधिक समय के लिए नजरअन्दाज कर पाना संभव नहीं होगा। आज प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1.17 लाख का कर्ज है। बेरोजगारी में प्रदेश देश के छः राज्यों की सूची में आ पहुंचा है। सरकार को हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है। बल्कि इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन और पैन्शन का ही प्रतिमाह प्रतिबद्ध खर्च करीब 2000 करोड़ है। सरकार अप्रैल से दिसम्बर तक केवल 6200 करोड़ का ही कर्ज ले सकते हैं और यह सीमा पूरी हो चुकी है। जनवरी से मार्च की तिमाही में कितना कर्ज मिल पायेगा यह आगे फैसला होगा। पिछले वर्ष 2023-24 में जनवरी से मार्च के बीच केवल 1700 करोड़ मिला था। अगले वर्ष कर्ज की सीमा 6200 करोड़ से कम रहेगी। इस गणित से यदि जनवरी से मार्च में 1700 करोड़ भी मिल जाता है तब भी गुजारा नहीं हो पायेगा क्योंकि वेतन और पैन्शन के लिये ही प्रतिमाह 2000 करोड़ चाहिए। इस वस्तुस्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय संकट का आकार कितना बड़ा है और इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे। इस वस्तुस्थिति में यह सवाल उठता है कि इस संकट के लिये जिम्मेदार कौन है? हिमाचल में 1977 के बाद उद्योगों को प्रदेश में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित किये गये। उद्योगों को हर तरह की सब्सिडी दी गई। प्रदेश की वित्त निगम से कर्ज दिया गया। खादी बोर्ड ने भी इसमें सहयोग दिया। लेकिन आज इन उद्योगों की सहायता करने वाले वित्त निगम और खादी बोर्ड जैसे आदारे खुद डूब चुके हैं। इन्हें अपने कर्जदारों को ढूंढने के लिये इनाम योजनाएं तक लानी पड़ी। अधिकांश उद्योगों का आज पता ही नहीं है कि वह कहां है। सस्ते बिजली की उपलब्धता, सस्ती जमीन की उपलब्धता और सब्सिडी मिलने के नाम पर स्थापित हुए उद्योगों का व्यवहारिक सच यह है कि जितनी भी सब्सिडी राज्य और केन्द्र से इन्हें दी जा चुकी है उसका आंकड़ा उनके मूल निवेश से कहीं ज्यादा है। कैग रिपोर्ट और उद्योग विभाग की अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज है। रोजगार के नाम पर भी इनका आंकड़ा सरकार के रोजगार से कहीं कम है। उद्योग की सफलता के दो मूल मानक हैं कि या तो क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध हो या तैयार माल का उपभोक्ता हो। परन्तु हिमाचल में यह दोनों ही स्थितियां नहीं है। इसलिये यह उद्योग प्रदेश पर भारी पड़ रहे हैं। सरकार की थोड़ी सी सख्ती से पलायन पर आ रहे हैं। उद्योगों के साथ ही हिमाचल को पर्यटन हब बनाने की कवायत शुरू हुई। इसमें होटल उद्योग आगे आया। इसके लिए जमीन खरीद को आसान बनाने के लिए धारा 118 में कई रियायतें दी गई। जिस पर एक समय हिमाचल ऑन सेल के आरोप तक लगे। इन आरोपों की जांच के लिये तीन बार जांच आयोग गठित हुई है। लेकिन आयोग की जांच रिपोर्ट पर क्या कारवाई हुई है कोई नहीं जानता। पर्यटन के साथ ही हिमाचल को बिजली राज्य बनाने की मुहिम चली। प्राइवेट सैक्टर को इसमें निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। बिजली बोर्ड से प्रोजेक्ट लेकर प्राइवेट निवेशों को दिये गये। इनमें जो बिजली बोर्ड का निवेश हो चुका था उसे ब्याज सहित लौटाने के अनुबंध हुये। परन्तु यह निवेश वापस नहीं आया। कैग की प्रतिकूल टिप्पणीयों का भी कोई असर नहीं हुआ। जल विद्युत परियोजनाओं के कारण पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उस पर अभय शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले दिनों जो प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश पर आयी थी। बादल फटने की घटनाएं इसका कारण भी इन परियोजनाओं का क्षेत्र ही ज्यादा रहा है। जिस बिजली उत्पादन से प्रदेश की सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाने का सपना देखा गया था। आज उसी के कारण प्रदेश का संकट गहराता जा रहा है। हिमाचल की करीब 60% जनसंख्या कृषि और बागवानी पर निर्भर है। लेकिन इसके लिए कोई कारगर योजनाएं नहीं हैं। एक समय स्व.डॉ. परमार ने त्री मुखी वन खेती की वकालत की थी। इसी के लिए बागवानी और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुये थे लेकिन आज इनकी रिसर्च को खेत तक ले जाने की कोई योजनाएं नहीं है। यदि 60% जनसंख्या को हर तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाये तो प्रदेश का संकट स्वतः ही हल हो जायेगा। वोट के लिये छोटे-छोटे वोट बैंक बनाने और उन्हें मुफ्ती का लालच देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार को ठेकेदारी की मानसिकता से बाहर आना होगा।

राष्ट्र-राज्य के धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा रहा है वक्फ बोर्ड का वर्तमान अधिकार

गौतम चौधरी

वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्ति इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले वक्फ क्या है और यह किस प्रकार काम करता है, इसे जानना जरूरी है। तो, वक्फ का मतलब होता है, 'अल्लाह के नाम', यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है। वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के तीन आधार होते हैं- ''अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ।'' बता दें कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीकों से बेचने पर रोक लगायी जा सके।

इधर के दिनों में यह वक्फ बोर्ड लगातार चर्चा में है। इसके पीछे कुछ तो सरकार के फैसले हैं और कुछ वक्फ बोर्ड को संभालने वालों की कमियां हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश का कोई भी ऐसा वक्फ बोर्ड नहीं है जहां विवाद न हो। यह बोर्ड भ्रष्टाचार में आकंट डूबा हुआ है। यही कारण है कि सरकार अब इस पर सीधा नियंत्रण चाहती है। मसलन, पिछले कुछ महीनों में, कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर विवाद ने वक्फ अधिनियम के दायरे में वक्फ बोर्डों को सौंपी गई शक्तियों पर फिर से बहस छेड़ दी है। आरोपों में भ्रष्टाचार, संरक्षित स्थलों पर अतिक्रमण और गैर-मुस्लिम समुदायों को हाशिए पर धकेलने का खतरा शामिल है। इन उदाहरणों ने वक्फ अधिनियम में सुधार की मांग को जन्म दिया है। आलोचकों का तर्क है कि वक्फ बोर्डों के अनियंत्रित अधिकार और शक्ति, जैसा कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त है, पारदर्शिता, निष्पक्षता और अन्य समुदायों के अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा पैदा कर रह हैं। कर्नाटक का मामला इन चिंताओं का उदाहरण है। यह बताता है कि वक्फ बोर्डों को दी गई व्यापक शक्तियों के परिणामस्वरूप संदिग्ध भूमि दावे और व्यापक सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि राज्य इन विवादों से जूझ रहा है, इसलिए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चल रही बहस बेवजह नहीं है। भारतीय संविधान में जो संकल्पना प्रस्तुत की गयी है उसके अनुरूप एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य के लिए यह जरूरी है।

वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित वक्फ बोर्ड, इस्लामी कानून के उदाहरणों के अनुसार धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। वक्फ संपत्तियों के रूप में जानी जाने वाली इन संपत्तियों में अक्सर मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और शैक्षणिक संस्थान शामिल होते हैं। यह अधिनियम वक्फ बोर्डों को व्यापक शक्रियां देता है, जिसमें भूमि विवादों पर निर्णय लेने, वक्फ संपत्तियों को पटे पर देने और अतिक्रमण के लिए दंड लागू करने का अधिकार शामिल है। वक्फ न्यायाधिकरण ऐसे निर्णय पारित करते हैं जिन्हें अक्सर सिविल अदालत के फैसलों से ऊपर रखा जाता है, जिससे न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश सीमित हो जाती है। हालांकि इस ढांचे का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना था, लेकिन इसकी जवाबदेही की कमी और दुरुपयोग की संभावना के कारण आलोचना की जाने लगी है।

कर्नाटक का मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि अगर इन शक्तियों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये ऐसे विवादास्पद दावों को जन्म दे सकती हैं, जिससे देश के धर्मनिर्पेक्ष छवि को धक्का लगेगा। साथ ही अंतर-सामुदायिक संघर्ष को बढ़ावा देगा। कर्नाटक में विवाद इस आरोप पर केंद्रित है कि राज्य वक्फ बोर्ड ने मंदिरों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्थलों पर स्वामित्व का दावा किया है। इन दावों से स्थानीय समुदायों में आक्रोश फैल गया है, जो इसे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को कमज़ोर करने वाले अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बोर्ड ने पर्याप्त सबूत या पारदर्शिता के बिना स्वामित्व का दावा करके अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। माना जाता है कि इस तरह के विवाद न केवल समुदायों के बीच तनाव पैदा करते हैं, बल्कि वक्फ बोर्डों के प्रशासन और निगरानी पर भी सवाल उठाते हैं।

आलोचकों का तर्क है कि बोर्ड की व्यापक शक्ति उसे मानक कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की अनुमति देती है, जिससे वह उचित प्रक्रिया के बिना भूमि पर मनमाने दावे करने में सक्षम हो जाता है। कर्नाटक विवाद वक्फ बोर्डों के भीतर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के बारे में व्यापक चिंताओं को भी रेखांकित करता है। पक्षपात, कुप्रबंधन और वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पटे पर देने के आरोप लंबे समय से इन संस्थानों पर लगे हुए हैं। बड़ी मात्रा में भूमि और परिसंपत्तियों पर केंद्रीकृत नियंत्रण अक्सर शोषण के अवसर पैदा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ संपत्ति प्रबंधन में अनियमितताओं के कारण राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण राजस्व हानि हुई है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत पट्टे और अतिक्रमण के कई मामले सामने आये हैं। इस तरह की प्रथाएं न केवल वक्फ के उद्देश्य-धार्मिक और धर्मार्थ जरूरतों को पूरा करने-को कमजोर करती हैं, बल्कि संस्था में जनता के विश्वास को भी कम करती हैं। गैर-मुस्लिम समुदायों के लिए, पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार की धारणा आक्रोश और सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाती है।

मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ बोर्डों की शक्तियों पर अंकुश लगाकर और राज्य की निगरानी बढ़ाकर इनमें से कई मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। मुख्य प्रावधानों में शासन को वक्फ न्यायाधिकरणों से राज्य सरकारों को स्थानांतरित करना, भूमि दावों में पारदर्शिता बढ़ाना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया है कि संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिकारों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि मौजूदा ढांचे की खामियों को सुधारना है। उन्होंने कहा, मौजूदा कानून में खामियां हैं जो दुरुपयोग और कुप्रबंधन की अनुमति देते हैं। ये संशोधन अनुशासन लाएंगे और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि भ्रष्टाचार को रोकने और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

अधिक निगरानी और जवाबदेही का परिचय देकर, संशोधनों का उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाना है जो मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के हितों को समान रूप से संतुलित करती है। अपने घोषित उद्देश्यों के बावजूद, वक्फ (संशोधन) विधेयक को विपक्षी दलों और मुस्लिम नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोग प्रस्तावित बदलावों को वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करने और मुस्लिम समुदाय के मामलों में हस्तक्षेप के प्रयास के रूप में देखते हैं। विरोधियों का तर्क है कि शासन को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने से राजनीतिकरण बढ़ सकता है और वक्फ प्रबंधन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। वे यह भी सवाल करते हैं कि क्या संशोधन भ्रष्टाचार और अक्षमता के मूल कारणों को संबोधित करते हैं, या केवल नियंत्रण को किसी अन्य प्राधिकरण में स्थानांतरित कर देते हैं। अन्य लोगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना के बारे में चिंता जताई है।

कर्नाटक मामले को वक्फ सुधार की तत्काल आवश्यकता के दायरे से देखा जा सकता है जो धार्मिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए जवाबदेही को संतुलित करता है। हालांकि, वक्फ (संशोधन) विधेयक चिंताओं को संबोधित करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग करने या सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने से बचने के लिए इसके कार्यान्वयन को संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की गतिविधियों की निगरानी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट निकायों को मजबूत करना और शुरू करना पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। अगला कदम सुधार उपायों पर आम सहमति बनाने के लिए मुस्लिम नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ना हो सकता है जो वक्फ में पारदर्शिता को और बढ़ा सकते हैं। मुद्दों को संतुलित और समावेशी तरीके से संबोधित करके, नीति निर्माता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ संपत्तियां सभी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें। कर्नाटक विवाद अनियंत्रित शक्ति के जोखिमों और सार्थक सुधार की आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। जैसे-जैसे वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बहस शुरू होती है, यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी ढांचा बनाने का अवसर प्रदान करता है - जो न्याय, जवाबदेही और समावेशिता के सिद्धांतों को कायम रखता है।

भारत में नए एचआईवी संक्रमण मामलों में कमी आई है

विश्व एड्स दिवस, 1988 से प्रति वर्ष 01 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यह एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस)/एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को एकजुट करने तथा महामारी के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह सरकारों, संगठनों और समुदायों के लिए इस रोग की वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालने तथा इसके रोकथाम, उपचार एवं देखभाल में की गई प्रगति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन को वैश्विक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अवलोकनों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो न केवल जागरूकता फैलाता है बल्कि उन लोगों को भी याद भी करता है जिनकी मौत एचआईवी/एड्स के कारण हुई है। यह स्वास्थ्य सेवाओं तक विस्तारित पहुंच जैसे मील के पत्थर का भी उत्सव मनाता है। एचआईवी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देकर, विश्व एड्स दिवस एचआईवी से लड़ने तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त करने के बीच के अभिन्न संबंधों पर प्रकाश डालता है।

2024 का विषय: 'सही रास्ता अपनाएं: मेरी सेहत, मेरा अधिकार!'

विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय, 'सही रास्ता अपनाएं: मेरी स्वास्थ्य, मेरा अधिकार!' है, जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और लोगों को अपने स्वास्थ्य प्रबंधन में सशक्त बनने के महत्व पर बल देता है। यह उन प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो कमजोर आबादी को एचआईवी के आवश्यक रोकथाम एवं उपचार सेवाएं प्राप्त करने से वंचित करती है। वर्ष 2024 का विषय मानवाधिकारों की भूमिका को उजागर करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोगों को, उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त हो सके। अधिकार – आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके, 2024 का अभियान समावेशिता को बढ़ावा देने, कलंक को कम करने और एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है।

एचआईवी/एड्स की वर्तमान स्थिति: एक वैश्विक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण

एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) द्वारा जारी वैश्विक एड्स अपडेट 2023 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एचआईवी/ एड्स से लड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की गई है। भारत जैसे देशों में नए एचआईवी संक्रमण मामलों में कमी आई है, जहां एक मजबूत कानूनी संरचना और बढ़े हुई वित्तीय निवेशों ने 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति करने की दिशा में प्रगति की है। विशेष रूप से, भारत की पहचान कमजोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनों को मजबूत बनाने के रूप हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एचआईवी अनुमान 2023 रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 25 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। इसके बावजूद, देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें वयस्क एचआईवी प्रसार 0.2% दर्ज किया गया है और अनुमान है कि वार्षिक रूप से नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या 66,400 है, जिसमें 2010 के बाद से 44% की कमी आयी है। भारत ने 39% की वैश्विक कमी दर को पीछे छोड़ दिया है, जो निरंतर किए गए मध्यवर्तनों की सफलता को दर्शाता है। 16.06लाख एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के लिए 725 एआरटी (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) केंद्रों के माध्यम से मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले आजीवन उपचार की उपलब्धता (जून 2023 के अनुसार) और 2022 – 2023 में किए गए 12.30 लाख वायरल परीक्षण भारत द्वारा प्रभावित जनसंख्या के लिए देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत की एचआईवी/एड्स महामारी पर प्रतिक्रिया: एक व्यापक दृष्टिकोण

भारत में एचआईवी/एड्स महामारी के खिलाफ लड़ाई 1985 में शुरू हुई। इसे विभिन्न जनसंख्या समूहों एवं भौगोलिक स्थानों में वायरस का पता लगाने के लिए सीरो–सर्वेक्षण के साथ शुरू किया गया। अभियान का प्रारंभिक चरण (1985 – 1991) एचआईवी मामलों की पहचान, ट्रांसफ्यूजन से पहले रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करना और लक्षित जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित था। इस अभियान में 1992 में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) की शुरूआत के साथ तेजी आई। यह देश में एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए एक व्यवस्थित एवं व्यापक दृष्टिकोण की शुरुआत थी। 35 वर्षों में, एनएसीपी विश्व के सबसे बड़े एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में से एक बन चुका है।

एनएसीपी चरणों का विकास

एनएसीपी के पहले चरण (1992 – 1999) में जागरूकता फैलाने और रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई। दूसरे चरण (1999 – 2007) की शुरुआत के साथ, रोकथाम, पहचान और उपचार के लिए सीधे मध्यवर्तन प्रस्तुत किए गए। राज्यों को प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता से युक्त किया गया। तीसरे चरण (2007 – 2012) में गतिविधियों का प्रमुख विस्तार हुआ, जिसमें विकेंद्रीकृत कार्यक्रम प्रबंधन जिला स्तर तक पहुंचा। चौथे चरण (2012 – 2017) में पहले के प्रयासों को एकीकृत किया गया, जिसमें सरकारी वित्तपोषण में वृद्धि हुई और कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित की गई।

विस्तारित एनएसीपी के चौथे चरण (2017 – 2021) में कई ऐतिहासिक पहलों को शुरू किया गया, जिसमें एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को पारित करना शामिल है, जो एचआईवी–पॉजिटिव लोगों को समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकता है। यह अधिनियम सितम्बर 2018 में प्रभावी हुआ और इसने एचआईवी (पीएलएचआईवी) से ग्रसित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की कानूनी संरचना को मजबूत किया।

इस चरण के दौरान, सरकार ने 2017 में 'टेस्ट और ट्रीट' नीति की शुरुआत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि एचआईवी से निदान प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को उनके नैदानिक चरण की परवाह किए बिना मुफ्त एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त हो। पीएलएचआईवी लोग, जिन्होंने उपचार बंद कर दिया, उन्हें फिर से जोड़ने के लिए 2017 में 'मिशन संपर्क' पहल की शुरुआत की गई। 2020 – 2021 के दौरान, कोविड – 19 महामारी ने कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आई। हालांकि, एनएपीसी ने कार्यक्रम की समीक्षा, समन्वय और क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। कई महीनों की दवाओं का एक साथ वितरण करके और सामुदाय – आधारित एआरटी रिफिल जैसी नवाचारों के माध्यम से महामारी के दौरान उपचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की गई।

एनएसीपी का पांचवां चरण: एचआईवी/एड्स की समाप्ति पर नये सिरे से ध्यान केंद्रित करना।

एनएसीपी का पांचवां चरण केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2021 – 26 के लिए 15,471.94 करोड़ रुपये की लागत के साथ शुरू किया गया। एनएसीपी के पांचवे चरण का उद्देश्य पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाना और लगातार चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही 2010 के आधारभूत मूल्य से 2025 – 26 तक वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण एवं एड्स संबंधित मृत्यु दर में 80% तक कमी लाना है। इसके अतिरिक्त, एनएसीपी के पांचवें चरण का उद्देश्य जोखिम और असुरक्षित आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण एसटीआई/ आरटीआई सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देते हुए ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन का दोहरा उन्मूलन, एचआईवी/एड्स से संबंधित कलंक को समाप्त करना है।

एनएसीपी के पांचवें चरण को आठ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें समुदाय – केंद्रित दृष्टिकोण, तालमेल निर्माण, प्रौद्योगिकी एकीकरण, लिंग – संवेदनशील प्रतिक्रियाएं और साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इस चरण में लागत प्रभावी सेवा वितरण के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ प्रमुख सहयोग की योजना बनाई गई है।

एनएसीपी के पांचवें चरण का मुख्य उद्देश्य

एचआईवी/एड्स का रोकथाम एवं नियंत्रण:

95% उच्च जोखिम वाले व्यक्ति तक व्यापक रोकथाम सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।

95 – 95 – 95 लक्ष्य की प्राप्ति: एचआईवी पॉजिटिव 95% लोग अपनी स्थिति से अवगत हों, निदान किए गए 95% लोगों का उपचार होता रहे और उन रोगियों में से 95% वायरल दमन प्राप्त करें।

यह सुनिश्चित करके ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन का समाप्त करना कि एचआईवी ग्रसित 95% गर्भवती महिलाओं ने वायरल लोड का दमन किया है।

एचआईवी और प्रमुख आबादी के साथ रहने वाले 10% से कम लोग कलंक एवं भेदभाव का अनुभव करें।

एसटीआई (यौन संचारित संक्रमण)/आरटीआई (प्रजनन प्रणाली संक्रमण) रोकथाम एवं नियंत्रण:

जोखिम वाली आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।

सिफलिस के ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन को समाप्त करना।

निष्कर्ष

विश्व एड्स दिवस 2024 एचआईवी/एड्स की समाप्ति की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की याद दिलाता है। एनएसीपी का पांचवां चरण और इसके अधिकार – आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत ने रोकथाम, उपचार एवं देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। हालांकि, प्रणालीगत असमानताओं और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसका विषय 'सही रास्ता अपनाएं: मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार!' जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों को बनाये रखने और समान स्वास्थ्य देखभाल पहुंच सुनिश्चित करने का सामूहिक अभियान शामिल है। जैसे – जैसे दुनिया 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक पहुंच रही है, भारत सहयोगात्मक कारवाई, नवीन रणनीतियों और स्वास्थ्य समानता के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करके एवं सफल मध्यवर्तनों को बढ़ावा देकर, भारत एचआईवी/ एड्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जो सभी के लिए एक स्वस्थ, कलंक मुक्त भविष्य सुनिश्चित करता है।

बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

शिमला। सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले खतरों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

ऑनलाइन गेम की लत जैसी विभिन्न सामाजिक – आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, आईटी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा – निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ('आईटी नियम, 2021') को अधिसूचित किया है। आईटी नियम, 2021 ने सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित विभिन्न मध्यस्थों पर उस सूचना के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने के दायित्व डाले हैं, जिसे प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा नहीं किया जाना है। मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करें जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो। मध्यस्थों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचना को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कारवाई या किसी भी ऐसी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कारवाई शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित करती है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2021 को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2021 को बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर अभिभावकों और शिक्षकों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में संकेत दिया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने से गंभीर गेमिंग की लत लग जाती है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाता है। इसने आगे चेतावनी दी है कि बिना किसी प्रतिबंध और आत्म – सीमा के ऑनलाइन गेम खेलने से कई खिलाड़ी आदी हो जाते हैं और अंततः गेमिंग डिसऑर्डर का निदान किया जाता है। अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइजरी को व्यापक रूप से प्रसारित करने और बच्चों को मानसिक और शारीरिक तनाव से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग नुकसानों पर काबू पाने में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कारवाई के लिए उन्हें शिक्षित करने की सिफारिश की गई है।

इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ('एमआईबी') ने 4 दिसम्बर, 2020 को सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को 'ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन' के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा – निर्देशों का पालन किया जाए और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उन्हीं का पालन किया जाए। दिशा – निर्देशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

किसी भी गेमिंग विज्ञापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नहीं दिखवाया जाना चाहिए।

ऐसे प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक तथा ऑडियो/वीडियो फॉर्म में ASCI कोड के अनुरूप डिस्क्लेमर होना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है तथा यह व्यसनकारी हो सकता है।

विज्ञापनों में गेम को वैकल्पिक रोजगार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

उन्हें यह भी नहीं दर्शाना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से दूसरों की तुलना में अधिक सफल है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और/या इन प्लेटफॉर्म को छद्म तरीके से दर्शाने वाले किसी भी ऐसे उत्पाद/सेवा के विज्ञापनों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने को कहा गया है। ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर न दिखाएं।

गृह मंत्रलय ('एमएचए') ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ('एलईए') के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ('आई4सी') की स्थापना की है। एमएचए ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया है।

इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग – अलग तंत्र हैं।

ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल – फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है।

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

प्रदेश हित में लिए निर्णयों से आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य की ओर अग्रसर हिमाचल:उप मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नवनिर्मित ढली बस अड्डे का लोकार्पण के अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने बस अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की अनुमानित स्वीकृति प्रदान की थी तथा लगभग 13.25 करोड़ रुपये से पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग 3.75 करोड़ रुपये की धनराशि की बचत हुई है। उन्होने कहा कि बस स्टैंड परिसर में 13 दुकानें, कांफ्रेंस हाल, रेस्ट रूम, टिकट काउंटर, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष, एक्टिविटी रूम, कैंटीन जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी हाल ही में 250 डीजल बसों की खरीद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह बसें एक या डेढ माह के भीतर निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरण में है तथा इलेक्ट्रिक स्टेशनों व वर्कशाप के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम बस अड्डों में यात्रियों

को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है तथा निगम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। निगम के कर्मचारियों और पैन्शनरों की सभी वित्तीय अदायगियों को हर महीने समय पर पूरा किया जा रहा है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बस अड्डे के साथ ही निगम की पुरानी कार्यशाला के जीर्णोद्धार कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके प्रथम चरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

उन्होने कहा कि सरकार जनकल्याण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक ठोस निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाये प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में अड़ंगे डालने का कार्य कर रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों पद भरने की प्रक्रिया शुरू:डॉ.शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है तथा प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष अधिमान दे रही है।

उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक संस्थान में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था होगी। इसके तहत अभी तक लगभग 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में सभी संस्थानों को उपयुक्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अत्याधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना से सुसज्जित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर भी बल दिया और कहा कि ओरल हेल्थ स्वास्थ्य देखभाल का महत्त्वपूर्ण पहलू है। दंत चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा रहा है।

डॉ. शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विशेषज्ञ और रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पैरा-मेडिकल स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चिकित्सा संस्थानों विशेष दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और निर्माणाधीन कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका वर्मा, मिशन उप-निदेशक एनएचएम डॉ. गोपाल बेरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि उद्योग निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम के निदेशक मंडल की 259वीं एवं 260वीं बैठक तथा 56वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बैलेंस शीट, ऑडिट एवं बीओडी रिपोर्ट इत्यादि का अनुमोदन और निगम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरण एवं मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

यह अवगत करवाया गया कि निगम ने बीते दो वर्षों में कारोबार और लाभ में भारी वृद्धि दर्ज की है जिससे यह 100 करोड़ रुपये का व्यवसाय करने वाली कंपनी बन गई है। निगम द्वारा कांगड़ा जिला के जाछ में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं शाखा कार्यालय खोलने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। धर्मशाला और नालागढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के साथ पेट्रोल पंप और सीएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2.62 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ 109.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.7 करोड़ रुपये लाभ अर्जित किया गया। इस अवधि के दौरान निगम द्वारा कीटनाशकों के दर अनुबंध, मारंडा, ज्वालामुखी और खेलग में ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ पेट्रोल पंप का संचालन किया गया। नालागढ़ में चौथे पेट्रोल पंप के संचालन के साथ-साथ लोहा व स्टील, सीमेंट, टायर और ट्यूब, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और पशु चारा की बिक्री जैसी अन्य गतिविधियां भी कुशलतापूर्वक पूर्ण की जा रही हैं।

निगम को बीते वर्ष की तरह वित्त वर्ष 2024-25 में बेहतर कारोबार और लाभ की उम्मीद है। निदेशक मंडल की बैठक में मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पाद, उपकरण और औजार उपलब्ध करवाने तथा इन उत्पादों की बिक्री के लिए शिविर आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

निदेशक मंडल की बैठक में नूरपुर आबकारी कार्यालय की जरूरत के दृष्टिगत राज्य में कर एवं आबकारी विभाग के लिए 2.5 कनाल भूमि की बिक्री तथा ऊना और किन्नौर जिलों में कॉरपोरेशन के नए कार्यालय खोलने के निर्देश दिए गए। बैठक में आवश्यकता के अनुसार निगम के मौजूदा पदों का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगम के वार्षिक लेखों को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कॉरपोरेशन के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने तथा राज्य में किसानों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए।

उपायुक्तों को सप्ताह में दो दिन कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद सभी जिलों के उपायुक्त अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और वीरवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं का समाधान करेंगे।

सचिव प्रशासनिक सुधार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेशों के अनुसार सोमवार या वीरवार को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में उपायुक्त अगले कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह निर्देश सभी जिला पुलिस अधीक्षकों पर भी लागू होंगे।

मुख्यमंत्री ने 7-8 नवंबर को शिमला में डीसी-एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान यह निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सप्ताह के निश्चित दिन कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन को प्राथमिकता देते हुए लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें सभी मंत्रीगण ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन के माध्यम से अब तक 2.5 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है और लोगों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार नहीं जाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त बेहतर सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जिलों में लोगों की समस्याओं का अगर समय पर समाधान होगा तो इससे जनता को राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी। इसी उद्देश्य से सभी उपायुक्तों को हर सप्ताह दो दिन कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए गए हैं।

एचपीटीडीसी को सुदृढ़ और इसकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत:आर.एस.बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के अध्यक्ष, रघुबीर सिंह बाली ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, प्रगति और एचपीटीडीसी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के आरोपों और दावों के बीच उन्होने कहा कि सरकार निगम की संपत्तियों और हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं और दावों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की सभी चिंताओं और मुद्दों का समाधान करेगी।

अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि एचपीटीडीसी की संपत्तियों को पट्टे पर देने या बेचने की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और यह विपक्ष द्वारा फैलाया गया झूठ है। उन्होंने कहा कि एचपीटीडीसी की संपत्तियां राज्य की समृद्ध विरासत और गौरव का प्रतीक हैं। राज्य सरकार निगम की किसी भी संपत्ति को न तो बेचेगी और न ही पट्टे पर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि निगम इन संपत्तियों को प्रभावी ढंग से चलाने और उनकी धरोहर बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निगम ने वित्तीय और परिचालन स्तर पर मजबूती हासिल की है। इसके अलावा, 2022-23 में 105 करोड़ रुपये और 2023-24 में 109 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार टर्नओवर हासिल किया गया, जबकि कर्मचारियों के लिए नई वेतनमान प्रणाली लागू करने के वित्तीय बोझ का भी सामना करना पड़ा।

बाली ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डबल बेंच के हालिया फैसले का स्वागत किया और कहा कि अदालत का यह निर्देश, कि सभी एचपीटीडीसी होटल बिना शर्त चालू रहेंगे, निगम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे एचपीटीडीसी के हितों की रक्षा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

रघुबीर बाली ने अपने ऊपर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनके ऊपर निगम की कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारी कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में एचपीटीडीसी कर्मचारियों को 35 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं, जो कि पिछली सरकार द्वारा पांच वर्षों में दिए गए 29 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार का हर निर्णय निगम की धरोहर को संरक्षित करने और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम होगा, जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग के भविष्य को मजबूत करेगा।

अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सघन अभियान आरम्भ

शिमला/शैल। उद्योग विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान आरम्भ किया है। निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी व शिकायतें सीधे उद्योग विभाग को प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि विभाग द्वारा इस संबंध में समयबद्ध कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों और शिकायतों की सूचना व्हाट्सएप नम्बर: 08988500249 दूरभाष नम्बर 0177-2990575 और ई मेल geologicalwing@gmail.com के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। शिकायत के साथ भौगोलिक निर्देशांक (कॉर्डिनेट्स) यदि उपलब्ध हो, इससे संबंधित फोटो या वीडियो व अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे विभाग को दोषियों के खिलाफ त्वरित कारवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों की सूचना प्रदान कर नागरिक पर्यावरण व प्रदेश में बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से की विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए यह समय की मांग है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए।

उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकास परियोजनाओं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास योजना आईडीएस के तहत पूंजीगत सब्सिडी की लंबित राशि जारी करने तथा आईडीएस के तहत लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की सभी मांगों और मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

एचआरटीसी में भरे जाएंगे 189 पद

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की 158वीं और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिहवन निगम में वर्ष 2022 से जेओए आईटी के 177 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद रिक्त हैं। यह परीक्षाएं हमीरपुर चयन आयोग के पेपर लीक होने के कारण स्थगित हुई थीं, अब इन पदों को दोबारा भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में 100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ परिवहन निगम सात माह के भीतर यूपीआई क्रेडिट डेबिट एनसीएमसी कार्ड लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट के समीप एचआरटीसी के चालकों-परिचालकों के लिए 120 बिस्तर क्षमता के ठहराव स्थल की बेहतर व्यवस्था की गई है। बैठक में लगेज पॉलिसी में रियायत देते हुए एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों के किराये को माफ करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में अवगत करवाया कि एचआरटीसी ने अब तक 66 करोड़ की आय अर्जित की है और आय में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैठक में बैजनाथ पुराने बस अड्डे में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सरकाघाट पुराने बस अड्डे को बरछवाड़ स्थित नए बस अड्डे में स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई। चंबा पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स बनाया जाएगा। बिलासपुर स्थित मंडी भराड़ी में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में निगम की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम की आय में भी वृद्धि की जा सके।

बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, निदेशक डीसी नेगी और विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल उपस्थित थे।

ग्रीन हिमाचल-समृद्ध हिमाचल का सपना होगा साकार, सरकार कर रही निरंतर प्रयासः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर तथा 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था द्वारा ग्रीन हिमाचल, समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर दी गई प्रस्तुति के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि ग्रीन हिमाचल, समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य को केन्द्रित करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इसमें ड्रोन तकनीक आधारित सेवाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को केन्द्रित करते हुए निर्माण, कृषि, चिकित्सा, आपदा के दौरान खाद्य वस्तुओं का वितरण इत्यादि सेवाएं ड्रोन तकनीक के तहत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

युवाओं को ड्रोन तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं जिनमें कृत्रिम मेधा जैसे विषय भी शामिल हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सोलर एनर्जी के माध्यम से भी प्रदेश में लगभग तीन हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में घरों की छतों पर लगभग 16 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य भी है तथा प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का लगभग सात प्रतिशत योगदान है। वर्ष 2023 में प्रदेश में लगभग 1.6 करोड़ पर्यटक पहुंचे। पर्यटन के माध्यम से प्रदेश के लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती के साथ-साथ बागवानी के क्षेत्र में भी रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत सरकार एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से आने वाले समय में एवोकेडो और ड्रेगन फल की भी खेती करने की संभावनाएं तलाश रही है।

इससे पूर्व प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एवं कृषि पारिस्थिकी संस्था के निदेशक राजीव अहल ने ग्रीन हिमाचल-समृद्ध हिमाचल विषय को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री चन्द्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक संजय अवस्थी, केवल सिंह पठानिया, सुरेश कुमार, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य विभागों के सचिव उपस्थित थे।

उप-मुख्य सचेतक ने उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए

तीन सिंचाई योजनाओं का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने एशियन विकास बैंक और जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना के कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया कि मनाई-परगोड़-लंज-नौशेरा उठाऊ पेयजल योजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस योजना पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

केवल सिंह पठानिया ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कमांड एरिया डेवलपमेंट के तहत निर्माणाधीन भोगल, धामल और बंडी सिंचाई योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन सिंचाई योजनाओं का कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि अगले वर्ष किसानों को फसलों के लिए सिंचाई सुविधा मिल सके।

बैठक में जल शक्ति विभाग की प्रमुख अभियंता अंजु शर्मा, धर्मशाला वृत्त के अधीक्षण अभियंता विशाल जस्वाल, शाहपुर मंडल के अधिशाषी अभियंता अमित डोगरा, धर्मशाला मंडल के अधिशाषी अभियंता सुमित कटोच और एशियन विकास बैंक के सहायक अभियंता नितिन चिनौरी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वेज कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।

बैठक में दवाडा, शकरोड़ी और डुम्मी परियोजना के कार्य को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने अवगत करवाया कि शकरोड़ी परियोजना का सिविल कार्य और वाटर पंप का निरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

दवाडा परियोजना का वाटर टैंक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डुम्मी स्टेज-3 परियोजना के वाटर टैंक, पंप हाउस और स्टाफ क्वार्टर का 90 फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है। बैठक में अवगत करवाया गया कि पीटरहॉफ टैंक का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है।

बैठक में स्वेज कंपनी के प्रतिनिधियों ने शहर में पेयजल आपूर्ति करने को लेकर विस्तार से प्रस्तुति दी। विक्रमादित्य सिंह ने कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि शहर के पार्षदों, लोगों और स्थानीय विधायक को विश्वास में लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कंपनी के कर्मचारी पार्षदों के साथ हर वार्ड में जायें और स्थानीय लोगों की शंकाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे के कार्य की रूपरेखा बनाई जाए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड हर माह एक रिपोर्ट सौंपना सुनिश्चित करे जिसमें शहर में पेयजल योजना के कार्य का हर अपडेट दिया जाए। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट भी जमा करने के निर्देश दिए।

बैठक में विधायक हरीश जनारथा, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश कश्यप, प्रबंध निदेशक वीरेंद्र ठाकुर और सहायक महाप्रबंधक पीपी शर्मा मौजूद रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भाजपा के विरोध प्रदर्शन का अंतिम परिणाम क्या होगा

क्या इस विरोध प्रदर्शन से ई.डी का रास्ता आसान हो जायेगा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के सत्ता में दो साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन करने जा रही है। लेकिन भाजपा इस आयोजन के औचित्य पर सवाल उठाते हुये पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हुये समारोह के दिन राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने जा रही है। वैसे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में आयोजन तथा विरोध एक सामान्य राजनीतिक रस्म अदायगी मानी जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य और हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह के रिश्ते सत्ता पक्ष और विपक्ष में बन चुके हैं उसके परिपेक्ष में भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन के मायने गंभीर हो जाते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के छः विधायक और तीन निर्दलीय भाजपा में शामिल हो गये। इन नौ स्थानों पर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिये उपचुनाव हुये। कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटें हार गयी परन्तु विधानसभा के लिये छः सीटों पर जीत गयी। विधायकों के इस तरह पाला बदलने में धन बल की भूमिका का पता लगाने के लिये पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। जो अब तक लंबित चल रहा है। पाला बदलने वाले कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले दर्ज करवा रखे हैं। इन्हीं मामलों के साथ ई. डी. और आयकर विभाग भी प्रदेश में दस्तक देकर छापेमारी कर चुके हैं। छापेमारी के बाद ई.डी. कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। मामले के तार सहारनपुर तक पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस मामले में केन्द्र की सीआरपीएफ की एक आदमी को सुरक्षा तक उपलब्ध हो चुकी है। कुछ अधिकारियों और राजनेताओं तक ई.डी. के पहुंचने की संभावना बन गयी है। ई.डी. का इस तरह का दखल प्रदेश में पहली बार हुआ है।

इसी के साथ राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी चर्चा में आ गयी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हिमाचल सरकार की परफॉर्मैन्स को प्रधानमंत्री ने स्वयं मुद्दा बनाकर उछाला है। इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन और समझदारी पर गंभीर सवाल उठा दिये हैं। स्वयं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के समारोह में बागवानी मंत्री की उपस्थिति में वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाये हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई सरकार वित्तीय मुहाने पर ऐसे विवादित हो जाये तब विपक्ष को सरकार को घेरन के लिये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मिल जाता है। इसी सबका परिणाम है कि सरकार के छः पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी पर संशय बना हुआ है। इसी संशय के परिदृश्य में भाजपा के नौ विधायकों पर सदन की अवमानना का जो मामला लंबित चल आ रहा है उसको इसी अवसर पर उछाल कर उनके खिलाफ भी निष्कासन की कारवाई की तलवार लटकी होने की चर्चा ताजा हो गयी है ।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये जनता को दस गारंटीयां दी थी इन गारंटी को पूरी तरह लागू कर पाना वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में संभव ही नहीं है। इन गारंटीयों में से पांच को लागू कर दिये जाने का ब्यान हाईकमान के लिये तो सही हो सकता है लेकिन भुक्तभोगी जनता के लिये नहीं। फिर कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन का काम भी इसी बीच होना है। उसके लिये पहली बार पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं। स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करने के साथ ही यह लोग सरकार पर भी टिप्पणियां करेंगे ही। क्योंकि सरकार बनने के बाद संगठन सरकार के फैसलों को ही जनता में ले जाता है। कार्यकर्ता की सक्रियता सरकार की सक्रियता पर निर्भर करती है। सरकार पर जब हर माह कर्ज लेने का सच सामने आयेगा तो कार्यकर्ता उसे कैसे झुठलायेगा। इसलिये इस समय सरकार के जश्न पर भाजपा का विरोध भारी पड़ने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। फिर ई.डी ने जब कुछ गिरफ्तारियां कर ही रखी है तो उस मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिये यदि कुछ अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंच जाती है तो उसके बाद एकदम सारी स्थितियां बदल जायेगी। जब सरकार जशन मना रही होगी तो उस समय भाजपा सरकार की नाकामियां जनता में रख रही होगी। जनता गारंटीयों का सच जानती है। क्योंकि भुक्त भोगी है। ऐसे परिदृश्य में ई. डी. की किसी भी कारवाई पर जनता में कोई प्रतिकूल संदेश नहीं जायेगा। बल्कि भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन उसके लिए जमीन तैयार करेगा।

नादौन में अदालत

........पृष्ठ 1 का शेष

संघ ने सीधे आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट पर्यटन निगम की संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की नीयत से तैयार की गयी है। संघ ने निगम के उपाध्यक्ष को इस साजिश का सूत्रधार करार देते हुये उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग कर दी।

पर्यटन निगम के कर्मचारी संघ के सक्रिय भूमिका में आने के बाद निगम प्रबंधन ने भी इस संद्धर्भ में कदम उठाये और उच्च न्यायालय में वायदा किया कि वह सेवानिवृत कर्मचारियों के सारे वितिय लाभों का तुरंत भुगतान कर देगा। इस भुगतान के लिये टाइम फ्रेम भी अदालत में सौंपा है। अदालत में निगम के वायदे पर 18 होटलों को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को है तब पता चलेगा कि कितने सेवानिवृत्त कर्मचारीयों को भुगतान हो जाता है। पर्यटन निगम का मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद दो मुख्य बिन्दु उभरे हैं। पहला कि निगम के होटल घाटे में चल रहे हैं और घाटे की स्थिति में यह है कि अपने सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके लाभों का भुगतान तक नहीं कर पा रही है। दूसरा है कि निगम के होटल को प्राइवेट सैक्टर को देने की जमीन तैयार की जा रही है। सवाल उठता है कि जब निगम के पहले से चले आ रहे होटल घाटे में चल रहे हैं तो नये क्यों बनाये जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय भी ऐसा हुआ सरकार कर्ज लेकर होटल बना रही है और उसे प्राइवेट सैक्टर को सौंप रही है। पिछली सरकार के समय यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। अधिकारियों को चिन्हित किया गया था परंतु अब सरकार बनने के बाद उस दिशा में कोई कारवाई नहीं है क्यों? दूसरा बिन्दु उभरा है कि निगम संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की भूमिका तैयार करने का इस संद्धर्भ में नादौन के प्रस्तावित होटल को लेकर हो रही गतिविधियों से यह शक पुख्ता होता है। क्योंकि नादौन में सरकार एडीबी से कर्ज लेकर यह होटल बना रही है परंतु इसे बनाकर प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की मंशा 9 अप्रैल को चंडीगढ़ के होटल हयात में हुई बैठक से सामने आ जाती है। उस बैठक में नादौन की यह प्रस्तावित संपत्ति भी एजेंडा में थी।अब छुट्टी वाले दिन जिस तरह से प्रशासन ने अदालत के स्टे को अंगूठा दिखाते हुये हरकत की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि शायद प्राइवेट सैक्टर के दबाव में ऐसा किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश की 153 मिनी आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया गया

शिमला/शैल। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मन्त्री सावित्री ठाकुर ने कांगड़ा के

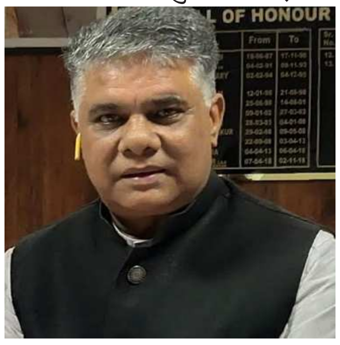

लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को संसद में बताया की हिमाचल प्रदेश की 153 मिनी आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके मेन आंगनवाड़ियों के रूप में परवर्तित किया गया है। उन्होंने बताया की इस समय हिमाचल प्रदेश में 539 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं तथा राज्य सरकार ने 153 मिनी आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया की बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और देखभाल के मद्देनज़र भारत सरकार ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में कार्यरत सभी मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण विकसित आंगनवाड़ियों के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में एक वर्कर और एक हेल्पर तैनात किया जायेगा। उन्होंने बताया की देश के 23 राज्यों/केन्द्र शाषित राज्यों में कुल 1,16, 852 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में से 20 राज्यों/केन्द्र शाषित राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुरूप 86,351 मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण विकसित आंगनवाड़ियों के रूप में अपग्रेड करने के स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।